

Title: Presentation of 22nd to 24th Reports of Committee on The Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) "भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अधीन प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच तथा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन ।
- (2) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा" विषय के बारे में 23वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) ।
- (3) "नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों में प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों, आदि सहित स्वायत्त निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन ।

? (व्यवधान)